न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 670 सन 2019

अनवान :–

1. बलदेवसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिह पुत्र महगाराम जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. गुरूदेवसिह 4 गुरमीतसिह पि0 महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 जेएसएन्न के खाता संख्या 87 के प0न0 321/392(6) किला न0 1 ता 25/6.1990हैक प0न0 319/392(8) किला न0 11 ता 13 ,18 ता 23/2. 2770हैक प0न0 319/393 (9) किला न0 1 ता 4 ,9 ,10/1.518प0न0 0मु0न0 63/12 के किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0रास्ता कुल 10.1200हैक मे से 300 हिस्सा महगाराम अर्थात 15.00 बीधा भूमि दर्ज है।

वाद भूमि महगांराम की स्वअर्जित सम्पित है जो महगाराम ने अपने जीवनकाल में जरीये बैयनामा दिनांक 1.10.2002 से खरीद की गई थी तथा महगाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा भूमि में से वाद व प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीतसिह को 7.10 बीधा व प्रतिवादी संख्या 2 को 5 बीधा भूमि की वसीयत करवाई दी थी जिसके मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा महगांराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 01.10.2002 को पंजीबद्व करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी महंगाराम का देहान्त दिनांक 29.03.2004 को हो चुका है महंगाराम के देहान्त होने के बाद महगांराम के द्वारा की गई वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वसीयत में अकित भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके पिता महगाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में पंजीबद्व करवाई गइ थी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता महंगाराम का देहान्त हो चुका है महगांराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 87 के प0न0 321/392(6) किला न0 1 ता 25/6.1990हैक प0न0 319/392(8) किला न0 11 ता 13 ,18 ता 23/2.2770हैक प0न0 319/393 (9) किला न0 1 ता 4 ,9 ,10/1. 518प0न0 0मु0न0 63/12 के किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0रास्ता कुल 10.1200हैक मे से 300 हिस्सा महगाराम अर्थात 15.00 बीघा भूमि दर्ज है।

वाद भूमि महगांराम की स्वअर्जित समित है जो महगाराम ने अपने जीवनकाल में जरीये बैयनामा दिनांक 1.10.2002 से खरीद की गई थी तथा महगाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुद्वा भूमि में से वाद व प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीतसिह को 7.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 को 5 बीघा भूमि की वसीयत करवाई दी थी जिसके मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा महगांराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 01.10.2002 को पंजीबद्व करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी महंगाराम का देहान्त दिनांक 29.03.2004 को हो चुका है महंगाराम के देहान्त होने के बाद महगांराम के द्वारा की गई वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वसीयत में अकित भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी वसीयत के अनुसार भूमि दर्ज करवाने का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 87 की कुल 10.1200हैक भूमि में से 300 हिस्सा भूमि सयुक्त खाता में महगाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है।

वादी के दादा महगांराम ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 01.10.2002 को पंजीबद्व करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी महंगाराम का देहान्त दिनांक 29.03.2004 को हो चुका है महंगाराम के देहान्त होने के बाद महगांराम के द्वारा की गई वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वसीयत में अकित भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार

Scanned with CamScanner

किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि महगाराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 87 की 10.1200हैक भूमि में से 300 हिस्सा मंहगाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर महंगाराम के नाम दर्ज 300 हिस्सा में से 150 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीतसिह के नाम तथा 100 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पचा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बलदेवसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महेन्द्रसिह पुत्र महगाराम जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2 गुरूदेवसिह 4 गुरमीतसिह पि0 महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 670 सन 2019 निर्णय दिनांक– 22/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 87 की 10.1200हैक भूमि में से 300 हिस्सा मंहगाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर महंगाराम के नाम दर्ज 300 हिस्सा में से 150 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीतसिह के नाम तथा 100 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner